E-Mail

उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला

सेवा में — जनगणना 2027(Phase 2nd) दिनांक अक्तूबर, 2026

प्रेषित

समस्त उपमंडलाधिकारी (ना०)एवं सब-डिविजनल मैजस्ट्रेट ऑफिसर जिला कांगड़ा
समस्त तहसीलदार /नायब तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी जिला कांगड़ा ।
कार्यकारी अधिकारी एवं चार्ज जनगणना अधिकारी / नगर परिषद, (कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नगरोटा बगवा, नूरपुर, जवाली, बैजनाथ-पपरोला । जिला कांगड़ा ।
सचिव एवं चार्ज जनगणना अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, कोटला, युन्डिया,नगरोटा सुरियाँ । जिला कांगड़ा ।

Deputy Director of School Education (Sec)
03 NOV 2026
Diary No. 7945
Kangra at Dharamshala

विषय : जनगणना -2027 के दूसरे चरण हेतु नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के स्थानांतरण न करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पत्र संख्या जी . ए . डी . बी -(एफ)2-1 /2025-III दिनांक 08-10-2026 अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है व इस कार्यालय के पत्र संख्या 1182-1195/ Census 2027 dated 10-04-2026 के साथ संलग्न उपरोक्त विभाग के पत्र संख्या GAD-B(F)2-1/2025 dated 31-03-2026 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जनगणना 2027 का प्रथम चरण व हिमाछादित क्षेत्रों में द्वितीय चरण के जनगणना का कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है । व द्वितीय चरण के अंतर्गत जिला के अन्य क्षेत्रों में भी जनगणना का कार्य जनवरी -फरवरी ,2027 के दौरान आयोजित किया जाएगा । व उक्त कार्य के सफल व समयबद्ध संचालन हेतु जिला , तहसील, तथा गणना ब्लॉक स्तर पर जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है । इन पदाधिकारियों को जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा ये अपने कार्यक्षेत्र एवं जनगणना की अवधारणाओं , प्रक्रियाओं तथा कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित है । अतः जनगणना 2027 के सुचारु संचालन हेतु यह आवश्यक है कि एक बार जनगणना कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात उन्हे तब तक स्थानांतरित न किया जाए, जब तक की सम्पूर्ण जनगणना का कार्य सम्पन्न न हो जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का तबादला 31 मार्च 2027 तक न किया जाए ताकि जनगणना 2027 के राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सुचारु , निर्बाध एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके ।

संलग्न : उपरोक्त

भवदीय ,

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं
जिला जनगणना अधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

Deputy Director of School Education (Sec)
03 NOV 2026
Dispatch No. 10997-29
Kangra at Dharamshala

पृष्ठाकनःसंख्याः शिक्षा–कांगडा विविध 2022
कार्यालय उप निदेशक स्कूल शिक्षा {माध्यमिक}
कांगडा स्थित धर्मशाला।
दिनांक : धर्मशाला–176215 03.11.2026

प्रतिलिपि कडी अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती हैः–

01 समस्त प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक /उच्च पाठशाला, जिला कांगडा (हि0प्र0)।
02 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं जिला जनगणना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ ।
03 प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशित करने हेतु।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा {माध्यमिक}
कांगडा स्थित धर्मशाला।

संख्या: जी.ए.डी बी-(एफ) 2-1/2025-III
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक:-

सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
 हिमाचल प्रदेश सरकार
2. समस्त उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी,
 हिमाचल प्रदेश
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
4. समस्त नगर आयुक्त –सह-प्रधान जनगणना अधिकारी,
 हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला-2 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- जनगणना 2027 के दूसरे चरण हेतु नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के स्थानांतरण न करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपका ध्यान इस विभाग के पत्र संख्या GAD-B(F)2-1/2025 दिनांक 31.03.2026 की और आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जनगणना-2027 का प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) का कार्य एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत हिमाच्छादित क्षेत्रों में जन गणना का कार्य भी सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। द्वितीय चरण के ही अंतर्गत राज्य के अन्य क्षेत्रों में जन गणना का कार्य जनवरी-फरवरी, 2027 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

उक्त कार्य के सफल एवं समयबद्ध संपादन हेतु राज्य, जिला, तहसील तथा गणना ब्लॉक स्तर पर जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है । इन पदाधिकारियों को जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियमावली, 1990 के अंतर्गत वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है । इन पदाधिकारियों को जनगणना-2027 के प्रथम चरण हेतु गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा ये अपने कार्यक्षेत्र एवं जनगणना की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं तथा कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हैं । अतः जनगणना 2027 के सुचारु संचालन हेतु यह आवश्यक है कि एक बार जनगणना कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात् उन्हें तब तक स्थानांतरित न किया जाए, जब तक की संपूर्ण जनगणना का कार्य संपन्न न हो जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग/ अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाए कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का तबादला 31 मार्च, 2027 तक न किया जाए ताकि जनगणना-2027 के इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सुचारु, निर्बाध एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

भवदीया

(प्रोमिला शर्मा)
अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:-यथोपरि दिनांक 08 /10 /2026

प्रतिलिपि : निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, सी. जी. ओ. परिसर, हिमाद्रि खंड लॉंगवूड शिमला-01 को उनके पत्र संख्या डीसीओ-35/2025-562 दिनांक 22 जुलाई, 2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।